भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2006

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के परिणाम

†2006. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2025 के दौरान खान के प्रचालन में तेजी, खनिज उत्पादन और निवेश में वृद्धि में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधनों का योगदान है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) के विस्तार के बाद शुरू किए गए घरेलू, अपतटीय और विदेशी अन्वेषण कार्यकलापों सहित इसके अंतर्गत जुटाई गई निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ग) सुव्यवस्थित नीलामी समय-सीमा, जुर्माना-प्रोत्साहन तंत्र, नीलामी की सफलता दरों, उत्पादन की समय-सीमा और राज्य के राजस्व पर आबद्ध खानों की बिक्री संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
(घ) खनिज आदान-प्रदान, अपतटीय खनन सुधारों के प्रचालन में क्या प्रगति हुई है और विशेषरूप से महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण, खनिज सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला में लचीलापन सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से दिनांक 01.09.2025 से संशोधन किया गया। उक्त संशोधन के माध्यम से, एमएमडीआर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर खनन पट्टे में किसी भी नए खनिज

को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त राशि के भुगतान पर खनन पट्टे (मौजूदा पट्टे वाले क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक) या समेकित अनुज्ञप्ति (मौजूदा अनुज्ञप्ति वाले क्षेत्र के 30 प्रतिशत तक) के तहत क्षेत्र का एक बार विस्तार करने की अनुमति दी गई है। ये संशोधन देश में खानों के तेज गति से प्रचालन और खनिजों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक हैं।

केंद्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 23.10.2025 को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। तदनुसार, इस न्यास का उद्देश्य न्यास में उपार्जित निधियों का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों सहित भारत के भीतर, तथा क्षेत्रीय एवं खानों और खनिजों के विस्तृत गवेषण तथा विकास प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर करना होगा। दिनांक 31.01.2026 तक, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास के अंतर्गत 3,426 करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत से 656 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 1,518 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(ग): खान मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2025 से खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसके द्वारा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन को तेज करने के लिए इन नियमों में मध्यवर्ती समय-सीमा की शुरूआत की है।

इन नियमों में प्रत्येक माह या माह के एक भाग के लिए समय-सीमा से अधिक विलंब (बोलीदाता के कारण) के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के 1% के विनियोग का प्रावधान है। इन नियमों में नीलामी प्रीमियम के अधीन देय, विनियोजित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन का भी प्रावधान है, यदि अंतिम लक्ष्य को इस निर्धारित समग्र समय-सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा, इन नियमों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् अधिमानित बोलीदाता को आशय पत्र जारी करने में, प्रत्येक माह या माह के एक भाग में देरी के लिए अग्रिम भुगतान की दूसरी किश्त की राशि में 5% की कमी करने का भी प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, नीलाम की गई खानों से शीघ्र उत्पादन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पट्टेदार को खनन पट्टे के अनुदान हेतु आशय पत्र जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर या समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से सात वर्षों के भीतर, उत्पादित खनिज के लिए नीलामी प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना आवश्यक है।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से, खानों की नीलामी से अंतिम उपयोग प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। उक्त संशोधन के बाद से, 496 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक

नीलामी की गई है, जिससे सफलतापूर्वक नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 612 हो गई है। नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद राज्यों के उपार्जित राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।

(घ): एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से, केंद्र सरकार को खनिज एक्सचेंज के माध्यम से खनिजों, उनके सांद्रण या उनके संसाधित रूपों (धातुओं सहित) के व्यापार सहित बाजार के विकास को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। ये एक्सचेंज आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के आधार पर उचित और पारदर्शी बाजार मूल्यों को निर्धारित करने, बाजारों को स्थिर करने तथा बजट और योजना बनाने में सहायता करते हैं। ये सुधार महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों सहित सभी खनिजों पर लागू होते हैं।

इसके अलावा, निजी कंपनियों को प्रचालन अधिकार देने हेतु नीलामी को पद्धति के रूप में अनिवार्य बनाने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (ओएएमडीआर अधिनियम, 2002) को ओएएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 17.08.2023 से संशोधित किया गया है, जिससे देश के अपतटीय क्षेत्रों में प्रचालन अधिकार आवंटित करने का एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार ने दिनांक 03.02.2026 को अपतट क्षेत्र खनिज (अवैध खनन और ढुलाई की रोकथाम) नियम, 2026 अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने खनिज गवेषण और खनन सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की है।

*****